



वकिसति भारत संकल्प यात्रा और पीएम-किसान योजना

प्रलम्बिस के लयि:

वकिसति भारत संकल्प यात्रा, [प्रधानमंत्री कसिन सममन नधि \(PM-KISAN\)](#), [प्रत्यक्ष लभ अंतरण \(DBT\) योजना](#), आधार लकिज, [संतुपति अभयिन](#)

मेन्स के लयि:

समृद्ध भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से संतुपति अभयिन और पीएम कसिन लभार्थयिों पर इसका प्रभव ।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यो?

हल ही में [प्रधानमंत्री कसिन सममन नधि \(PM-KISAN\) योजना](#) के लभार्थयिों की संख्या में 20% से अधकि की गरिवट आई है, जो अप्रैल-जुलाई 2022 में 10.47 करोड से घटकर 8.12 करोड हो गई है ।

- सरकार के सक्रयि उपायों, वशिष रूप से वकिसति भारत संकल्प यात्रा के तहत शुरू कयि गए ["संतुपति अभयिन"](#) ने 34 लख कसिनों को लभार्थयिों की सूची में वलपस जोड दयि है ।

वकिसति भारत संकल्प यात्रा क्या है?

परचय:

- यह सरकार की योजनाओं की संतुपति प्राप्त करने के लयि वसितारति गतविधयिों के माध्यम से जलगरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभयिन है । इसके अंतरगत पूरे देश में भारत की सभी [ग्रलम पंचलयतें](#), [नगर पंचलयतें](#) और [शहरी स्थलनीय नकिय](#) शलमलि हैं ।
- यह अभयिन भारत सरकार के [वभिनन मंत्रलयों/वभलयों](#), [रलय सरकारों](#), [केंद्र सरकार के संगठनों](#) और [संस्थलनों](#) की सक्रयि भलयीदारी के साथ संपूरण सरकरी दृषटकिण अपनाकर चललय जल रहल है ।

उद्धेश्य:

- यह अभयिन कमज़ोर लगों तक पहुँच प्रदलन करतल है, जो वभिनन योजनलयों के तहत पलत्र हैं जनिहोंने इसकल अभी तक लभ नहीं उठलयल है ।
- जलनकरी उपलब्ध करवलनल और योजनलयों के बलरे में जलगरूकता बढ़लनल ।
- व्यक्तगत आख्यानों और अनुभवों (stories/ experience) को सलझल करने के माध्यम से सरकरी योजनलयों के लभ प्राप्तकरतलयों के साथ प्रत्यक्ष जुडलव ।
- वकिसति भारत संकल्प यात्रल के दौरलन वलरिण के माध्यम से संभवलि लभार्थयिों कल नलमलंकन ।

PM कसिन सममन नधियोजना (PM-कसिन) क्या है?

परचय:

- इसे देश के कसिनों की वलतिलीय आवश्यकतों को पूरल करने के लयि शुरू कयिल गयल थल ।
- इसकल संचलयन दसिंबर, 2018 से शुरू हुलल है ।

वलतिलीय लभ:

- इसके तहत प्रत्येक चार महीने में तीन समलन कसितों में प्रतल वरष 6000/- रुपए कल वलतिलीय लभ [प्रत्यक्ष लभ अंतरण \(DBT\)](#) मोड के माध्यम से देश भर के कसिन परवलरों के बैंक खलतों में स्थलनलंतरलि कयिल जलतल है ।

योजना कल दलयरल:

- यह योजना प्रलरंभ में 2 हेक्टेयर भूमलवलले छोटे तथल सीमलंत कसिनलयों (Small and Marginal Farmers- SMF) के लयि थी कतलि

सभी भूमिधारक किसानों को लाभ प्रदान करने हेतु योजना का दायरा बढ़ा दिया गया।

■ **वित्तपोषण तथा कार्यान्वयन:**

- यह भारत सरकार से 100% वित्तपोषण प्राप्त एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है।
- इसका कार्यान्वयन **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** द्वारा किया जाता है।

■ **उद्देश्य:**

- प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशति कृषि आय के अनुरूप **उच्चि फसल स्वास्थ्य** तथा **उच्चि पैदावार** सुनिश्चिती करने के लिये विभिन्न आदानों की खरीद में **छोटे व सीमांत किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं** को पूरा करना।
- अमुक व्यय को पूरा करने के लिये उन्हें **साहूकारों** के चंगुल में फँसने से बचाना तथा **कृषि गतिविधियों** में उनकी नरितरता सुनिश्चिती करना।

■ **PM-किसान मोबाइल ऐप:**

- इसे **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के सहयोग से **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र** द्वारा विकसिती तथा डिज़ाइन किया गया था।

■ **वास्तविक रूप से सत्यापन की व्यवस्था:**

- योजना में नरिधारिती प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष **5%** लाभार्थियों का अनविरय रूप से वास्तविक सत्यापन किया जा रहा है।

PM-किसान से संबंधिती चुनौतियाँ क्या हैं?

■ **अनविरय प्रावधान तथा आधार लकिेज:**

- **अनविरय भूमि बीजारोपण प्रावधानों** तथा **आधार को सक्रिय बैंक खातों से जोड़ने** की आवश्यकता ने इस योजना को जटलि बना दिया है, जिसे किसानों के लिये इन शर्तों का अनुपालन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- किसानों, विशेष रूप से दूरवर्ती क्षेत्रों के किसानों को **आधार लकिेज** तथा **भूमि बीजारोपण आवश्यकताओं** को पूरा करने में तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे **PM-किसान** लाभों तक उनकी पहुँच में बाधा आ सकती है।

■ **जागरूकता और आउटरीच:**

- कई पात्र किसान अभी भी PM-Kisan योजना से अनजान हैं या उन्हें आवेदन प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होगी।
- पर्याप्तों के बावजूद, **आउटरीच पहल** को कृषक समुदाय के सभी वर्गों तक पहुँचने में संघर्ष करना पड़ सकता है, विशेषकर दूरदराज़ या हाशिये पर रहने वाले क्षेत्रों में।

■ **प्रौद्योगिकी पहुँच:**

- स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविती सहिती प्रौद्योगिकी पहुँच में असमानताएँ, किसानों की **PM-Kisan** नामांकन तथा अनुपालन के लिये आवश्यक ऑनलाइन प्रक्रियाओं से जुड़ने की क्षमता में बाधा बन सकती है।

आगे की राह

- सरलता और दक्षता के लिये अनविरय भूमि बीजारोपण प्रावधानों एवं आधार लकिेज आवश्यकताओं की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिये।
- नरिबाध अनुपालन हेतु उपयोगकर्त्ता-अनुकूल प्लेटफार्म बनाने के लिये प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की आवश्यकता है।
- कमज़ोर किसानों तक पहुँचने के लिये समुदाय-स्तरीय सहभागिता कार्यक्रम आयोजति किये जाने चाहिये।
- PM-Kisan के लाभों से अनजान पात्र किसानों की पहचान कर उनका समर्थन करने के लिये स्थानीय अधिकारियों, कृषि सेवाओं और गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

Q1. नमिनलखिती कथनों पर वचिार कीजयि: (2018)

1. आधार कार्ड का प्रयोग नागरकिता या अधविस के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
2. एक बार जारी करने के पश्चात् इसे नरिगत करने वाला प्राधकिरण आधार संख्या को नषिक्रयि या लुप्त नहीं कर सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- आधार प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को नविसयियों की पहचान को सुरक्षित और त्वरित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित करने में मदद करता है, जिससे सेवा वितरण अधिक लागत प्रभावी एवं कुशल हो जाता है। भारत सरकार और UIDAI के अनुसार, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- हालाँकि UIDAI ने आकस्मिकताओं का एक सेट भी प्रकाशित किया है जो उसके द्वारा जारी आधार की अस्वीकृति के लिये उत्तरदायी है। मशरति या वषिम बायोमेट्रिक जानकारी वाला आधार नषिक्रयि कयि जा सकता है। आधार का लगातार तीन वर्षों तक उपयोग न करने पर भी उसे नषिक्रयि कयि जा सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- **अतः विकल्प (d) सही है।**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/viksit-bharat-sankalp-yatra-adds-beneficiaries-to-pm-kisan>

